

22/10

22/10

दोनों अधिकांश में बहुत कम से प्रमा  
कट प्राप्ति को मैरीट पर विचारण का  
12/10 ~~की~~ विषय गया पत्रवाली वाले  
आदेश मैरीट पर दिनांक 14/11/22 को पेश किया

14/11/22 पत्रवाली वाले आदेश पेश इष्टी वकील  
प्राथमिक शाय प्रस्तुत प्राप्ति जवाब एवं  
उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया  
जिससे एक पट पते हैं कि पूर्ण अपना प्राप्ति  
भूतक मोहन लाल जी, के जवाब वाले में पूर्ण  
के पत्र पत्र में दिनांक 18.02.22 को मोहन लाल  
विचारित किया जाना अंकित किया है।  
एवम् एतद् भूतक मोहन लाल जी की भूतक  
हो चुकी है। वही अपना वादपत्र गेडीपत्र की  
हमीयत की घोषणा करती जाने का पेश  
किया है, जो अभी तक विचाराधीन है।

12

उपस्थित अधिकारी  
बडीसादडी जि. चित्तौड़गढ़



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुकम की में जारी
---------------	-----------------------------------	---

जिल्ले निर्णय से शुरे तथा स्वतः ही रूप में  
हो जायेगा। अब तक अनावश्यक रूप से  
विवाद नहीं है इसलिए प्राणपत्र 212 RGA  
का मूल वाक के विस्तारण तक विपक्षीय  
को अन्वय निषेधाज्ञा से पाबन्द किया  
जाना आशयेपित प्रतीत हो रहा है।

कार: 9/10 का प्राणपत्र लौकिक  
किया जाकर आदेश दिया जाता है कि  
मौजा सरथला की अ.न. 19, 478, 822,  
857, 866, 867, 936, 949, 1161, 1162,  
1165, 1166, 1367, 1088, 1159, 1305,  
कुल अक्षा 16 रकबा 6.30 हे. भूमि में विपक्षीय  
को मूल वाक के विस्तारण तक अन्वय  
निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना है कि  
निकास की आशयेपित वगैरह रकी जावे।

निर्णय से अज्ञात लिखाया जाकर  
सुनाया गया। पत्रावली फंडल सुधार  
द्वारा नम्बर के अक्ष होकर मूल वाक के अक्ष  
जाने लगे।

उपलब्ध अधिकारी  
इडीसावड़ी जि. चित्तौड़गढ़